क्रम-संख्या—264 (क-2)

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4 खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 22 नवम्बर, 2006
अग्रहायण 1, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—4

संख्या अ—5899/मु०मं० का०-4-2006
लखनऊ, 22 नवम्बर, 2006

विज्ञप्ति

विविध

सा०प०नि०—36

भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, यह आदेश देते हैं कि विज्ञप्ति संख्या—अ—4740/मु०मं०का०-4—2005, दिनांक 22 नवम्बर, 2005 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 1999 के नियम 3 के उपनियम (3), (4) और (6) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

(3) यह अनुदान मुख्यमंत्री के विवेकानुसार निम्नलिखित को उनके सम्मुख अंकित सीमा तक दिया जा सकता है :—

(क) असहाय, विकलांग, दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों अथवा निराश्रित, विधवाओं या बालकों को	रु0 1,00,000/— से अनधिक
(ख) सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में रत संस्थाओं को (धार्मिक उद्देश्यों या जातिगत आधार पर बने संगठनों को छोड़कर)	रु0 5,00,000/— से अनधिक
(ग) बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को	रु0 5,00,000/— से अनधिक
(घ) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु	रु0 5,00,000/— से अनधिक
(ङ) जघन्य हत्याओं/अपराधों/दुर्घटनाओं/नाव डूबने/सांप काटने आदि में निर्धन परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर पीडित परिवार को	रु0 5,00,000/— से अनधिक

(च) भीषण अग्निकाण्ड, भूस्खलन, हिमपात अथवा अन्य दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों अथवा परिवारों को	सामान्य मानकों से आंकलित हानि की आधी धनराशि अथवा रु0 2,00,000/– जो भी कम हो।
(छ) (एक) दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल जरूरतमंद व्यक्तियों को	रु0 1,00,000/– से अनधिक
(दो) दुर्घटनाओं में साधारण रूप से घायल जरूरतमंद व्यक्तियों को	रु0 25,000/– से अनधिक

स्पष्टीकरण–खण्ड (ग) (ङ) व (छ) के अन्तर्गत गंभीर व व्ययसाध्य मामलों में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार उपयुक्त हों।

(4) नियमावली में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिस्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री जी को अपने विवेकानुसार नियमावली में निर्धारित दरों से अधिक अनुदान स्वीकार करने का औचित्य प्रतीत हो, तो वे उससे अधिक अनुदान स्वीकृत कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण–किसी परिस्थिति का निर्धारण एवं औचित्य मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार तय किया जायेगा।

(6) (क) जहाँ अनुदान की धनराशि रुपये 20,000/– से अधिक होगी, वहाँ मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित अनुदान ग्रहीता के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(ख) जहाँ रुपये 20,000/– से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया जाय, वहाँ स्वीकृत धनराशि के उपयोग से जो कार्य किये गये हों उनका सत्यापन जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। सत्यापन संबंधी अभिलेख जिलाधिकारी द्वारा आडिट के समय आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे। परन्तु नियम 3 के उपनियम (3) के खण्ड (ङ) एवं (च) के संबंध में यह सुनिश्चित करना पर्याप्त होगा कि अनुदान की धनराशि पात्र व्यक्ति को मिल गयी है।

उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01 अगस्त, 2003 से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।

संख्या अ–5899(1)/मु0मं0 का–4, तद्दिनांक

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/महामहिम श्री राज्यपाल जी।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी,
उप सचिव, मुख्य मंत्री।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–3188 राजपत्र (हि०)–2006–(6782)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–42 सा० प्रशासन–2006–(6783)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।